न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2864-PBR/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 752/2012–13/अपील.

1–गणेश प्रसाद आत्मज स्व0श्री भवानी प्रसाद

निवासी बिलगंवा तहसील उदयपुरा

जिला रायसेन म0प्र0

2–नर्बदा प्रसाद आत्मज स्व0श्री भवानी प्रसाद

निवासी बिलगंवा तहसील उदयपुरा

जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–घनश्याम सिंह आत्मज विजय सिंह

निवासी बिलगंवा तहसील उदयपुरा

जिला रायसेन म0प्र0

2–विजय सिंह आत्मज स्व0श्री कोमलसिंह

निवासी बिलगंवा तहसील उदयपुरा

जिला रायसेन म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री दिनेश सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेश कटारिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 व 164 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बिलगंवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 19/2 रकबा 2.00 एकड़ एवं सर्वे नम्बर 116 रकबा 2.86 एकड़ भूमि की भूमिस्वामी हल्कीबाई थी जिनकी मृत्यु हो गई है अतः सर्वे नम्बर 19/2 रकबा 2.00 एकड़ पर वारिसान की हैसियत से एवं सर्वे नम्बर 116 रकबा 2.86 एकड़ पर वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26–10–12 को आदेश पारित कर सर्वे नम्बर 116 रकबा 2.86 एकड़ पर अनावेदक कमांक 1 का नाम एवं सर्वे नम्बर 19/2 रकबा 2.00 एकड़ पर आवेदकगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–5–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा वसीयतनामें के आधार पर किया गया अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण निरस्त किया गया एवं आवेदक के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–7–16 को आदेश पारित कर सर्वे नम्बर 19/2 रकबा 2.00 एकड़ पर आवेदकपक्ष का 116 रकबा 2.86 एकड़ पर अनावेदक कमांक 1 का नाम दुरूस्त करने का आदेश

दिया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है और ना ही प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कोई स्वत्व है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में वसीयतनामा साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा का निष्पादन 1–1–03 को होना बताया गया है जबकि नामान्तरण आवेदन पत्र मृतक भूमिस्वामी की मृत्यु के 4 वर्ष उपरांत प्रस्तुत किया गया है जो कि संदेहास्पद है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4– अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं न्यायासंगत बताते हुये स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु 2.86 एकड़ भाग पर वसीयत के आधार पर हुये नामान्तरण का है । गणेश प्रसाद मूल भूमिस्वामी के वारिस है, यह तीनों न्यायालयों ने माना है । जहॉ तक वसीयत का प्रश्न है तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रथमदृष्टया ही यह स्पष्ट है कि वसीयत के दोनों गवाहों के वसीयत और ब्यान पर हस्ताक्षरों में भिन्नता है । वसीयत के एक गवाह कारेलाल को आवेदक ने अपने पक्ष में पेश किया है । स्पष्ट है कि वसीयत प्रमाणित नहीं हुई है । तहसील न्यायालय का निष्कर्ष इस संबंध में गलत है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक

45/अ–6/11–12 में की गई जॉच में आवेदकगण को मृतक हल्कीबाई के उत्तराधिकारी होने की पुष्टि की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 1 के नाम स्वीकृत नामान्तरण निरस्त कर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु इस वैधानिक बिन्दु पर ध्यान नहीं देकर अपर आयुक्त द्वारा आवेदक का नामान्तरण निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6– उपरोक्त अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–07–2016 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी बरेली जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–05–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.